



UPSR010012642026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती
पीठासीन अधिकारी- दिनेश चन्द, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06538

जमानत आवेदन नं०-477/2026

- 1-मंगलेश्वर यादव उम्र 19 वर्ष पुत्र पतिराम,
2-अजय यादव उम्र 19 वर्ष पुत्र रामजीत यादव,
निवासीगण-कौवापुर, दा०-बकवा, थाना-कोतवाली भिनगा, जनपद-श्रावस्ती।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उ० प्र०

.....अभियोगी

अ०सं०-110/2026

धारा-303(2), 317(2), 317(4), 3(5)

बी०एन०एस०

थाना-को० भिनगा, जिला-श्रावस्ती

दिनांक 17.06.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदकगण/अभियुक्तगण मंगलेश्वर यादव एवं अजय यादव की ओर से अपराध संख्या 110/2026, धारा 303(2), 317(2), 317(4), 3(5) बी०एन०एस०, थाना को० भिनगा, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है:-वादी मुकदमा चेताराम ने प्रभारी निरीक्षक थाना को० भिनगा जनपद श्रावस्ती को दिनांक 12.03.2026 को इस आशय की तहरीर दिया कि घटना दिनांक 12.03.2026 ई० रात्रि करीब 2 बजे की है कि अज्ञात चोर उसकी भैंस चोरी करके ले गये। वादी जब जगा तो देखा कि उसकी भैंस उसके द्वार पर नहीं है जिससे उसने अपने घर वालों को जगाया/सूचना दी। सभी लोग भैंस को काफी खोजबीन किया परन्तु भैंस नहीं मिली जिसके सम्बन्ध में घटना की सूचना वह देने आया है। न्याय हित में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः घटना उपरोक्त के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर के विरुद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट

अन्तर्गत धारा 303(2) बी0एन0एस0 में पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना लम्बित है।

3— आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण तथाकथित घटना से अनभिज्ञ व अंजान हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है तथा एफ0 आई0 आर0 में किसी भी अभियुक्त का नाम अंकित नहीं है। घटना दिनांक 26.03.2026 के पूर्व की है। अभियुक्तगण को मु0 अ0 सं0 233/2026 के मुकदमें में गिरफ्तार करके तथा जेल में निरुद्ध रहते हुये दिनांक 05.06.2026 को एक साथ मु0 अ0 सं0 129/2026, मु0 अ0 सं0 110/2026, मु0 अ0 सं0 51/2026, मु0 अ0 सं0 60/2026 में रिमाण्ड लेकर सह अभियुक्त जीवन लाल गोस्वामी की कथित स्वीकारोक्ति/बयान के आधार पर इस मुकदमें में प्रकाश में लाया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से अथवा निशानदेही से चोरी की गयी भैंस अथवा उसका कोई अंश बरामद नहीं हुआ है। विवेचना में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादी को उसकी भैंस प्राप्त हुई है अथवा नहीं। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना है।

4— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की भैंस व पड़वा की चोरी की गयी है और उक्त भैंस व पड़वा आवेदकगण/अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुए हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक इतिहास है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना है।

5— आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना।

6— अपराध संख्या 110/2026, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अपने पास से चोरी की भैंस व पड़वा की बरामदगी से इंकार किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को किसी मामले में न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को दिनांक 05.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदकगण/अभियुक्तगण मंगलेश्वर यादव व अजय यादव का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण मंगलेश्वर यादव व अजय यादव का जमानत आवेदन निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है:—

- (i)— यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे।
- (ii)— यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 351 बी0एन0एस0एस के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
- (iii)— यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास—पचास हजार की एक—एक जमानत व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 17.06.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती